न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

(2)

पीठासीन अधिकारी:- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 अपील / 08 / 2017 दायर दिनांक: 05.10.2017

उनवान

1. अनोखबाई बेवा चन्दर उर्फ चन्दरलाल जाति मेघवाल नि. गोविन्दपुरा तहसील पिडावा
2. सुरेन्द्र नाबालिग पुत्र चन्दर उर्फ चन्दरलाल जरिये माता अनोखबाई जाति मेघवाल नि. गोविन्दपुरा तहसील पिडावा
3. केसबाई पुत्री सेवा उर्फ शिवलाल जाति मेघवाल हाल नि. गेलानी तहसील पिडावा
4. सोरमबाई बेवा घनश्याम जाति मेघवाल नि.गोविन्दपुरा तहसील पिडावा हाल नि. रामगंजमण्डी

— अपीलांटस

बनाम

1. बीरम पुत्र सेवा उर्फ शिवलाल जाति मेघवाल नि.गोविन्दपुरा तहसील पिडावा
2. समदा पुत्र पूरा जाति मेघवाल नि. गोविन्दपुरा तहसील पिडावा
3. पन्नालाल पुत्र तुलसिया नि. गोविन्दपुरा तहसील पिडावा
4. गीताबाई पुत्री तुलसिया पत्नि कंवरलाल जाति मेघवाल नि.सिलौरी तहसील पिडावा
5. शान्तिबाई पुत्री तुलसिया पत्नि रामलाल जाति मेघवाल नि.सिलोरी तहसील पिडावा
6. ककूबाई पुत्री तुलसिया पत्नि जगन्नाथ जाति मेघवाल नि.कुलमियो का बाडा तहसील सुसनेर
7. मगनबाई पुत्री तुलसिया पत्नि भगवानलाल जाति मेघवाल नि.खजूरी तहसील पिडावा
8. बालू पुत्र पूरा जाति मेघवाल नि. गोविन्दपुरा तहसील पिडावा
9. रतनलाल पुत्र बरदालाल जाति मेघवाल नि. गोविन्दपुरा तहसील पिडावा
10. सरपंच ग्राम पंचायत गेलानी तहसील पिडावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड

— रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट बाबत रद्द करने नामा.सं. 244 ग्राम राजाखेडी ग्राम पंचायत गेलानी दि. [illegible].02.2014

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण —

अभिभाषक अपीलांटस — श्री मसूद अहमद खान

अभिभाषक रेस्पोडेन्टस सं. 1 — श्री मतीन खान

अभिभाषक रेस्पोडेन्टस सं. 9 — श्री रमेशचन्द सोनी

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(8)

आदेश दिनांक : 30.07.2025

संक्षिप्त मे अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माननीय अधिनस्थ ग्राम पंचायत गैलानी के सरपंच ने ग्राम राजाखेडी तहसील पिडावा मे स्थित आराजी खसरा नं. 143/2 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा के संबंध मे दिनांक 27.02.2014 को नामान्तकरण संख्या 244 तस्दीक करवाया गया है जो विधि के नियमो एवम प्रावधानो के विरूद्ध होने के कारण रद्ध होने योग्य है। रेस्पोडेन्टस नं. 1 बीरम ने तत्कालीन हल्का पटवारी से सांठ गांठ करके अपीलान्ट नं. 3 पुत्री केसरबाई के जीवित व मौजूद होने के तथ्यों को तथा चन्दर उर्फ चन्दरलाल को अविवाहित मरना बताकर उसकी पत्नि व पुत्र अपीलान्ट नं 1 व 2 है जीवित व मौजूद होने के तथ्य को एवं धनश्याम को अविवाहित मरना बताते हुए उसकी पत्नि अपीलान्ट नं. 4 के जीवित होने के तथ्य को छुपाकर एवम अपीलान्टस को मृतक जंडावबाई के भी वारिसान है इन तथ्यो को जानबुनकर छुपाकर दुषित प्रकिया से हल्का पटवारी से गलत रिपोर्ट करवाकर चन्दर, धनश्याम, जडावबाई के नाम खाते से कम करने की अनुशंषा करवाकर ग्राम पंचायत गैतानी के सरपंच से मिलकर केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार नामान्तकरण जैर अपील स्वीकार करने एवम मृतक खातेदारान धनश्याम चन्दर, जडावबाई के नाम खाते से कम करवाने का आदेश करवा लिया जो पूरी तरह से विधि के नियमो कानूनी प्रकिया तथा प्रावधानो के विरूद्ध होने से नामान्तकरण जैर अपील रद होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नं 1 बीरम ने गैर कानूनी तरीके से तस्दीक करवाये गये नामान्तकरण सख्सा 244 जैर अपील के आधार पर नामान्तकरण जैर अपील के कालम नम्बर 1 मे 4/25 हिस्से पर बतौर सहखातेदार उसका नाम स्थापित करवा लिया जबकि अपीलान्ट नम्बर 1 व 2 कानूनन 1/25 हिस्से के अपीलान्ट नं. 3 1/25 हिस्से अपीलान्ट नं. 4 1/25 हिस्सै यानि समस्त अपीलान्टस 3/25 हिस्से के सहखातेदारान होने से उनके नामो व हिस्सौ का अकंन होना चाहिये था तथा [illegible] केवल 41/25 हिस्से पर दर्ज होना चाहि[illegible] अपील न्यायोचित नही है एवं रद्ध [illegible] ग्राम पंचायत को सरंपच रेस्पोडेन्ट नं. 1 से मिली हुई थी उ[illegible] चन्दर, घनश्याम, जडावबाई की मृत्यु एवं उनके वारिसान के बारे में किसी प्रकार को जांच व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

तहकीकात नही की घनश्याम की मृत्यु सन 2005 मे चन्दर की मृत्यु सन 2006 मे हो हो गई थी अपीलान्ट नं. 1 व 2 चन्दर के अपीलान्ट नं. 5 घनश्याम के वारिसान है अपीलान्ट नं. 3 सेवा व जड़ावबाई की वारिसान में से एक होने से हकदार है। आईएलआर से हल्का पटवारी ने मात्र उसके हस्ताक्षर करवाये है उन्होंने कोई राय व्यक्त नही की है इस तरह से नामांतकरण जैर अपील आरबिरटी है एवंम रद्ध होने योग्य है। माननीय अधिनस्त ग्राम पंचायत सरपंच ने नियम अनुसार कौरम का गठन किये बगैर ही नामान्तकरण जैर अपील तस्दीक कर दिया जो मन माना है एवम रद्ध होने योग्य है। अपीलान्टस को नामान्तकरण जैर अपील का ज्ञान दिनांक 18–5–17 को होने से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र कानून मियाद अपील के साथ प्रस्तुत है। अपील उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अपील माननीय न्यायालय के अधिकार के में प्रस्तुत है। शेष कारण बहस के समय मौखिक निवेदन किये जायेंगे। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील खर्चा स्वीकार फरमाई जाये। नामान्तकरण जैर अपील स. 244 ग्राम राजाखेडी जो सरपंच ग्राम पंचायत गैलानी द्वारा दिनांक 27–2–14 को तस्दीक किया गया है उसे रद्ध फरमाया जाये इसके आधार पर रेकार्ड मे करवाये गये अमल दरामद रद्द कर कम किये जाने के आदेश प्रदान करे एवं बाद जांच व तहकीकात 3/25 हिस्सा पर अपीलान्टस के नामो व 1/25 हिस्से पर रेस्पोडेटस नं 1 का नाम अंकित किए जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन, अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से एडवोकेट श्री मतीन खान उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 9 की ओर से एडवोकेट श्री रमेशचन्द सोनी उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 8 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 25.01.2018 को रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 9 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक ... को रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 9 का जवाब अवसर बंद किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

10

3. अभिभाषकगण अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने लिखित बहस प्रस्तुत की। रेस्पोडेन्ट सं. 9 की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस में निवेदन किया कि –

(1) अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय में एक अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने ग्राम पंचायत गैलानी की सरपंच से ग्राम राजाखेडी तहसील पिड़ावा में स्थित आराजी खसरा नं. 143/2 रकबा 08 बीघा 11 बिस्वा के संबंध में दिनांक 27.02.2014 को नामान्तकरण संख्या 244 तस्दीक करवाया गया है जो विधि के नियमों एवं प्रावधानों के विरुद्ध होने के कारण रद्ध होने योग्य है।

(2) रेस्पोंडेन्ट नं. 1 ने फोती नामान्तरण संख्या 244 दिनांक 27.02.2014 में हल्का पटवारी ग्राम राजाखेड़ी पटवार हल्का गैलानी से मिलकर हल्का पटवारी द्वारा बिना जांच करे रिपोर्ट देकर दिनांकरू 05.02.2014 को नामान्तकरण खोला गया कि खातेदार घनश्याम व चन्दर को अविवाहित फोत हुए अर्सा तीन माह से अधिक हो चुका है। माता जड़ावबाई भी फौत हो चुकी है। अतः मृतको के नांम खाते से कम करने हेतु नामान्तकरणं दर्ज कर पेश है तथा मृतक घनश्याम, चन्दर, जड़ावबाई का शजरा बनाया गया जिसमे जड़ावबाई के कोई पुत्री नहीं होना बताया गया है जबकि अपीलान्ट ने मृतक घनश्याम व चन्दर के मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रतियां पेश की है जिसमें घनश्याम की मृत्यु दिनांकरू 25.09.2005 को चन्दर की मृत्यु दिनांक 29.11.2006 को हुई है हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.02.2014 में मृतको को 3 माह से अधिक फोत होना बताया है तथा नामान्तकरण में अपने अधिकारी आई०एल०आर० से भी कोई रिपोर्ट या स्वीकृति नहीं ली गई है। केवल नामान्तकरण ग्राम पंचायत गैलानी के सरपंच के समक्ष प्रस्तुत कर तस्दीक करवा लिया है ग्राम पंचायत गैलानी द्वारा मृतको की कोई जांच व तहकीकात किये बगेर नामान्तकरण तस्दीक कर दिया है तथा कोरम के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किया है जो [illegible] विरुद्ध होने से रद्ध होने योग्य है।

(3) नामान्तकरण संख्या 244 में दर्ज आराजी खसरा [illegible] रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा सेवा उर्फ शिवलाल के शामलाती खाते [illegible] की आराजियात थी सेवा उर्फ शिवलाल का शजरा पैरा सं. 3 में अंकित अनुसार है –

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

(11)

सेवा उर्फ शिवलाल फोत

घनश्याम पुत्र (फोत)	बीरमलाल पुत्र	चन्दरलाल पुत्र (फोत)	कालूलाल पुत्र (फोत)	केसरबाई पुत्री	जड़ावबाई बैवा (फोत)
सोरमबाई पत्नी अपी.न.4	रेस्पों.न. 1	पत्नी अनोखबाई पुत्र सुरेन्द्रकुमार अपी.न. 1 व 2	पत्नी हिराबाई पुत्री कृष्णबाई पुत्री संतोषबाई		

अपीलान्ट नं. 1 व 2 मृतक चन्दर उर्फ चन्दरलाल पुत्र सेवा जी के वारिसान है। अपीलान्ट नं. 3 मृतका जड़ावबाई बैवा सेवा सेवा उर्फ शिवलाल की पुत्री है। अपीलान्ट नं. 4 मृतक घनश्याम की पत्नी है। जड़ावबाई बैवा सेवा उर्फ शिवलाल के मृतक पुत्र कालूलाल की पत्नी हिराबाई पुत्रियां कृष्णबाई, सन्तोषबाई पूर्व में अपने हिस्से का बैचान रतनलाल को कर दिया है। इसलिए उनका नाम खातेदारी में दर्ज नहीं है लेकिन मृतका जड़ावबाई के 1/25 हिस्से में पुत्री केसरबाई व पुत्र वधू हिराबाई बराबर ही हकदार है। रेस्पोंडेन्ट नं. 1 ने मृतक घनश्याम, चन्दर, जड़ाव बाई के फोती नामान्तकरण संख्या 244 गलत तरीके से तस्दीक करवा कर तीनो का नाम खाते से कम करवाकर उनका हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया है इसलिए नामान्तकरण विधि के नियमों व प्रावधानों के विरुद्ध होने से रद्ध होने योग्य है।

(4) अपीलान्ट्स नं. 1 व 2 ने अपनी अपील के साथ अपने आधार कार्ड, पहचान–पत्र, राशन कार्ड, पी०पी०ओ० पेंशन स्वीकृति लेटर अपीलान्ट नं. 3 ने अपना आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, अपीलान्ट नं. 4 ने आधार कार्ड, पहचान–पत्र, पी०पी०ओ० पेंशन स्वीकृति लेटर की फोटो प्रतियां माननीय न्यायालय में पेश की है जिससे यह साबित होता है कि अपीलान्ट्स मृतक घनश्याम, चन्दर व जड़ाव बाई के वारिसान है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:19 IST
Reason: SelfAttested

(5) अपीलान्ट्स ने अपनी अपील के समर्थन में ग्राम गोविन्दपुरा की आराजी खाता संख्या 76/74 खसरा नं. 155 [illegible] व खाता संख्या 83/76 खसरा नं. 155 सम्वत 2075 से 2078 की जमाबन्दी तथा नकल नामांतकरण संख्या 366 ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा दिनांक 05.08.2017 पेश

उपखण्ड अधिकारी

12

की है जिसमे ग्राम गोविन्दपुरा की आराजी खसरा नं. 155 में मृतक चन्दर उर्फ चन्दरलाल के स्थान पर उसके वारिसान अपीलान्ट नं. 1 व 2 तथा घनश्याम के स्थान पर उसके वारिसान अपीलान्ट नं. 4 तथा मृतक जड़ाव बाई का हिस्सा अपीलान्ट नं. 3 अपीलान्ट्स नं. 1, 2, 4 व रेस्पॉडेन्ट नं. 1 तथा पुत्रवधु हीराबाई बेवा कालुलाल के नाम बराबर दर्ज किया गया है।

(6) अपीलान्ट्स ग्राम गोविन्दपुरा तह० पिड़ावा के निवासी है तथा ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा अपीलान्ट्स को भली-भाती से जानती है। रैस्पॉडेन्ट नं. 1 ने ग्राम राजाखेड़ी पटवार हल्का गैलानी की आराजी खसरा नं. 143/2 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा मे पटवारी हल्का गैलानी व गैलानी की सरपंच से साठ-गांठ करके मृतक घनश्याम, बन्दर को अविवाहित बताकर एवं जड़ावबाई के कोई पुत्री या वारिस नहीं होना बताकर नामांतकरण संख्या 244 दिनांक 27.02.2014 से उनका हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा कर दिनांक 28.04.2017 को सम्पूर्ण 4/25 हिस्से का बैचान दुल्हालाल को कर दिया जिसको निरस्त करने हेतु अपीलान्ट्स ने माननीय सिविल न्यायाधीश क०ख० पिड़ावा में वाद पेश किया हुआ है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.03.2025 नियत है तथा अपीलान्ट्स ने माननीय न्यायालय में अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने हेतु में वाद पेश कर रखा है जो विचाराधिन है और माननीय न्यायालय द्वारा इस अपील के साथ संलग्न किया हुआ है।

(7) माननीय न्यायालय ने दिनांक 08.04.2021 को रैस्पॉडेन्ट नं 1 के द्वारा अपील का जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया जा चुका है। इसलिए उसके द्वारा लिखित बहस पढे जाने योग्य नहीं है। रेस्पॉडेन्ट नं. ने दिनांक 29.01.2025 को अपनी ओर से लिखित बहस पेश हुई है जिसमें रैस्पोडेन्ट नं. 1 ने अपीलान्ट्स नं. 1 व 2 को मृतक चन्दर उर्फ चन्दरलाल की पत्नी व पुत्र होने से इन्कार किया गया तथा अपीलान्ट नं. 4 को भी मृतक घनश्याम की पत्नी होने से इन्कार किया गया है लेकिन अपीलान्ट नं. 3 केसरबाई को जड़ाव बाई बेवा सेवा उर्फ शिवलाल की पुत्री होना माना है। केवल मृतक घनश्याम व चन्दर के कोई वारिस होने [illegible] नहीं लिखी है। अगर मान लिया जाता है कि घनश्याम व चन्दर लाऔलाद [illegible] हुए तो भी मृतक घनश्याम, चन्दर व जड़ाव बाई [illegible] हिस्सा [illegible] में समोयित होकर पिता सेवा उर्फ शिवलाल के सभी जीवीत वारिसान यानी पुत्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

अपीलान्ट नं. 3 केसरबाई, सेवा उर्फ शिवलाल जी के मृतक पुत्र कालूलाल की पत्नी हीराबाई पुत्रिया कृष्णबाई, सन्तोष बाई, रेस्पोंडेन्ट नं. 1 वीरम के बराबर जावेगा। रेस्पोडेन्ट नं. 1 वीरम ने तीनो मृतक घनश्याम, चन्दर व जड़ावबाई का नाम खाते से कम करवाकर अपना नाम गलत तरीके से दर्ज करवाया है जो नामांतरकरण संख्या 244 निरस्त किया जावे। अतः अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 244 ग्राम राजाखेड़ी जो सरपंच गैलानी के द्वारा तस्दीक किया गया को रद्द किया जाकर मृतक घनश्याम, चन्दर व जड़ावबाई के वारिसान की जांच कर पुनः नामांकरण खोले जाने का आदेश प्रदान किये जावे।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा लिखित बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट्स नं. 1 की ओर से लिखित बहस पेश है–

(1) यह कि ग्राम पंचायत गेलानी की सरपंच से ग्राम राजाखेड़ी तह० पिड़ावा में स्थित आराजी खसरा नं. 143/2 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा के संबंध में दिनांक 27.02.2014 को नामान्तकरण संख्या 244 तस्दीक करवाया गया है। विधि के अनुरुद्ध किया गया है जो सही है।

(2) यह कि सेवा उर्फ शिवलाल निवासी गोविन्दपुरा के वैध वारिसान वीरम, चन्दर, घनश्याम, कालूलाल, बैवा जड़ाव बाई है। सेवा उर्फ शिवलाल के इनके अलावा कोई वैध वारिसान नहीं है जिसमें चन्दर व घनश्याम व कालूलाल की मृत्यु हो चुकी है। घनश्याम की मृत्यु 2005 में हुई जब वह अविवाहित था। घनश्याम की शादी नहीं हुई थी जो अपने आपको अपीलान्ट नं. 4 सौरमबाई घनश्याम की पत्नी बता रही है उसने घनश्याम के मरने के बाद उसकी जमीन में हक जताने के लिए झूठे दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान–पत्र दिनांक 16.11.2008 में बनाया पेंशन 2013 में आधार कार्ड 2013 में सभी दस्तावेज घनश्याम के मरने के बाद बने है। सोरमबाई मुस्लिम स्त्री है वह अपने समाज में ही रह रही है। उसका अ[illegible] नूरबला है और रामगंजमण्डी में अपने जवाई के सा[illegible] से कोई लेना–देना नहीं है। जबकि घ[illegible] सोरमबाई (नूरबला) जो मुस्लिम समाज से है। चन्दर की मृत्यु 2006 में हुई थी उसकी शादी नहीं हुई थी। वह अविवाहित था मृत्यु के समय भी वह अविवाहित था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अनोख बाई जिसकी असली कचरी बाई है उसके पति का नाम घनश्याम प्रजापति है। इन दोनो की तीन सन्ताने है जिनके नाम 1– सुरेश पिता घनश्याम प्रजापति, 2– रेखा पिता घनश्याम प्रजापति, 3– सुरेन्द्र पिता घनश्याम प्रजापति है। अनोखबाई (कचरीबाई) की शादी ग्राम गुराडिया थाना भवानीमण्डी जिला झालावाड मे हुई है। वह अपने पति से अलग हुई और बालचन्द नाम के व्यक्ति के यहा नाते गई। बालचन्द भानपुरा मध्यप्रदेश का था। अनोख बाई उसके साथ रही। जब गोविन्दपुरा गांव आई तो तीनों बच्चों के साथ सुरेश, रेखा, सुरेन्द्र के साथ आई अनोख बाई ने चन्दर के मरने के बाद झूठे दस्तावेज बनवाये है जो माननीय न्यायालय में पेश किये है। अनोखबाई (कचरीबाई) कुम्हार/प्रजापति जाति की है मेघवाल जाति की नहीं है। चन्दर मेघवाल जाति का था।

(3) यह कि 1 यह कि अपीलकर्ता नं. 1 ने विधवा पेंशन 2009 में बनवाई जिसमें पुत्र का नाम सुरेश है। बैंक खाता 22.03.2011 में कोटड़ी बैंक में खुलवाया (अनोखबाई) । पहचान–पत्र अनोखबाई ने दिनांक 16.11.2008 में बनावाया। परिवार राशनकार्ड में अनोखबाई पत्नी चन्दरलाल लिखा है मगर दिनांक 20.06.2007 में नाम का विवरण इस प्रकार है। 1 अनोखबाई उम्र 41 वर्ष स्वयं 2– सुरेश उम्र 27 वर्ष पुत्र, 3– लाभूबाई उम्र 18 वर्ष बहु, सुरेन्द्र कुमार उम्र 11 वर्ष पुत्र, जब 2007 में सुरेन्द्र की उम्र 11 वर्ष थी तो दावा लगाते समय अपील करते समय 2017 में उम्र 12 वर्ष कैसे हो सकती है। अपील करते समय सुरेन्द्र नाबालिग नहीं था। बल्कि 21 वर्ष का बालिग युवा लड़का था और आधार कार्ड में उम्र दिनांक 11.01.2005 का जन्म बताया है दोनो में बहुत ज्यादा विरोधाभास है क्योकि चन्दर की मृत्यु 2006 में हो चुकी थी इसलिए सुरेन्द्र चन्दर का पुत्र है ही नहीं और अनोखबाई भी पत्नी नहीं है ना थी। सौरमबाई व अनोख बाई दोनो ने अपने पहचान–पत्र एक ही दिनांक 16.11.2008 में साथ में.बनवाये मिली भगत करके बनवाये। .बीरम से जमीन हडपने के लिए इन दोनो ने [illegible] चन्दर व घनश्याम के जीवीत रहते कोई दस्तावेज [illegible] बल्कि झूठे दस्तावेज उनके मरने के बाद बनवाये। [illegible] है। यह दस्तावेज सिर्फ चन्दर व घनश्याम की जमीन हड[illegible] के लिए बनवाये गये है। इसलिए अनोख बाई के विरुद्ध रेस्पोंडेन्ट बीरम द्वारा मुकदमा दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

(15)

करवाया गया जिसकी एफ०आई०आर० नं. 16/2017 है और धारा 384, 452, 417, 504, 506/34 आई०पी०सी० में दर्ज है। एफ०आई०आर० की नकल की छायाप्रति पेश है।

(4) यह कि अनोखबाई ने इसी माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा में एक रेवन्यु वाद क्रमांक 95/2017 बीरम, दुल्हालाल, रतनलाल, प्रहलाद व अन्य के विरुद्ध धारा 91, 92ए, 88, 89, 53, 209 आर०टी०एक्ट में दिनांक 13.09.2017 को पेश किया जो लम्बित है जो जवाब दावा व तलबी में चल रहा है जो इसी संबंध में है जिसकी प्रमाणित प्रति पेश है। दावा का निस्तारण नहीं है अभी विचाराधिन है।

(5) यह कि एक दावा माननीय सिविल न्यायालय न्यायाधीश महोदय पिडावा मे अनोख बाई वगैराह विरुद्ध दुल्हालाल, बीरम, रतनलाल व अन्य के विरुद्ध दावा बाबत निरस्त करने दस्तावेज बैचान–पत्र जो बीरम ने दिनांक 01.05.2017 को उपपंजीयक पिड़ावा से पंजीबद्ध कराया है। दुल्हालाल के पक्ष में कराया है जिसका वाद क्रमांक 37/2017 है जो अभी माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय पिड़ावा में लम्बित है। जिसका अभी निर्णय नहीं हुआ है जो इसी भूमि के संबंध में है।

(6) यह कि माननीय न्यायालय से निवेदन है कि जिस भूमि पर नामांतकरण की अपील की गई है नामांतकरण दिनांक 27.02.2014 में बीरम के नाम से दर्ज हुआ है अपील दिनांक 13.09.2017 को 4 साल बाद पेश की गई है जो निरस्त होने योग्य है। लिमिटेशन में नहीं आती है। घनश्याम की मृत्यु 2005 में व चन्दरलाल की मृत्यु 2006 में हुई है। 2005–2014 के बीच उक्त भूमि में अपीलकर्तागण ने अपने नाम इन्तकाल खुलवाने की कोई कार्यवाही नहीं की है। जब बीरम रेस्पोंडेन्ट्स का नाम उक्त भूमि में दर्ज हो गया तो सोची–समझी साजिश के तहत झूठे दस्तावेज बनवाकर अपील व दावे पेश किये है सभी दस्तावेजात चन्दर व घनश्याम के मरने के बाद बनवाये गये है जो सही नहीं है।

(7) यह कि जिस भूमि के संबंध में अपील पेश की ग[illegible] बैचान पत्र दिनांक 28.04.2017 को दुल्हालाल [illegible] चुका है [illegible] का पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय तह० पिडावा में दिनांक 01.05.20[illegible] को हो चुका है और खरीददार दुल्हालाल के नाम बैचान पंजीयन के तहत नामांतकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 295 दिनांक 23.05.2017 राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो चुका है। उक्त आराजी पर खरीददार दुल्हालाल कब्जा–काश्त, उपयोग उपभोग चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी व नामातंकरण व बैयान–पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

(8) यह कि सिर्फ अपीलकर्तागण ने झूठे दस्तावेज बनवाकर माननीय न्यायालय में पेश कर बीरम से कृषि भूमि हड़पने की साजिश रचते हुए यह अपील प्रस्तुत की है। चन्दर, घनश्याम के जीवित रहते कोई कार्यवाही नहीं की है।

(9) यह कि अपीलान्ट की ओर से कोई दस्तावेज विवाह का कार्ड, विवाह के फोटो, विवाह का पंजीयन व वारिसान से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं किये है व आंगनबाड़ी जच्चा–बच्चा कार्ड पेश नहीं किये है।

(10) यह कि अपीलकर्तागण के रेस्पोंडेन्ट नं. 1 बीरम से कोई संबंध नहीं है ना ही अपीलकर्तागण चन्दर के वैध वारिसान है ना ही घनश्याम वारिसान है इसलिए अपील खारीज होने योग्य है।

अतः लिखित बहस रेस्पोंडेन्ट नं. 1 बीरम की ओर पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि अपील मय हर्जा–खर्चा सहित खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

5. अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट सं. 9 द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांटस द्वारा एक दीवानी वाद सं. 37/2017 उनवान अनोखबाई बनाम दूल्हालाल में सिविल न्यायाधीश पिड़ावा में पेश किया था जिसमें निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2025 से दीवानी वाद को खारीज किया जा चुका है। अपीलांटस द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 88, 91, 209 आर.टी.एक्ट राजस्व वाद सं. 95/2017 अनोखबाई बनाम धूलालाल वगै. दिनांक 05.10.2017 को इसी न्यायालय में पेश किया हुआ है जिसमें दिनांक 17.02.2021 की आदेशिका से अपील पत्रावली के निर्णय उपरांत [illegible] किया जाना अंकित किया है। अपीलांटस एवं रेस्पोंडेन्टस के खातेदारी हक एवं [illegible] निर्धारण इस अपील में निर्धारित नहीं होकर राजस्व [illegible] में तय हो[illegible] अतः अपील अपीलांटस खारीज फरमाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

6. प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा अपील पेश करने में देरी के लिए माफी हेतु धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम राजाखेड़ी के कथित नामा.सं. 244 दिनांक 27.02.2014 की प्रार्थीगण/अपीलांटस को कोई जानकारी नहीं थी। ग्राम पंचायत गैलानी के सरपंच व हल्का पटवारी उक्त नामान्तरण के संबंध में अपीलांटस को कभी कोई सूचना नहीं दी और चन्दर, घनश्याम एवं जड़ावबाई के वारीसानो के बारे में पटवारी हल्का व कानूगो द्वारा कोई पूछताछ नहीं की गई, केवल ग्राम पंचायत पर बैठकर सरपंच के प्रभाव में आकर अनुमान से वारीसानो के नाम लिखे गये। अपीलांटस को जब उक्त तथाकथित नामान्तरण के संबंध में ग्राम में कुछ सूचनाए मिली तो दिनांक 18.05.2017 को नामान्तरण की नकल हल्का पटवारी से लेने पर अप्रार्थी सं. 1 बीरम द्वारा किये गये षडयंत्र की जानकारी हुई। आगे कथन किया कि प्रार्थी नं. 1, 3 व 4 अशिक्षित ग्रामीण महिलाए है जिनको कानून की जानकारी नहीं है। प्रार्थी सं. 2 नाबालिग होने से कानून की जानकारी नहीं है। प्रार्थीगण की बहस अतः न्यायहित में अपील दायर करने में हुई देरी को माफ किया जावे। प्रार्थीगण की बहस के परिपेक्ष्य में ग्राम पंचायत गैलानी द्वारा निर्णित नामा.सं. 244 दिनांक 27.02.2014 की पंजिका का अवलोकन किया गया। पंजिका के कालम सं. 16 में पटवारी हल्का द्वारा खातेदार घनश्याम व चन्दर को 3 माह से पूर्व अविवाहित फोत होना बताया है व माता जड़ावबाई भी फोत हो चुकी है। मृतको के नाम कम किये जावे। हल्का पटवारी द्वारा किस आधार पर घनश्याम व चन्दर को अविवाहित फोत होना अंकित किया गया– उल्लेख नहीं है। ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पंजिका के साथ संलग्न है। ग्राम वासियों से जानकारी के करने का भी अंकन नहीं है। भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी नामान्तरण पंजिका में पटवारी की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी किये बिना केवल हस्ताक्षर किये है। ग्राम पंचायत द्वारा भी अवियाहित फोत होने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिखा है और कोरम का निर्णय भी अंकन नहीं है। प्रार्थीगण सं. 1, 3, 4 का शिक्षित होना भी प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी [illegible] होना प्रतीत होता है और इसलिए प्रार्थीगण द्वारा [illegible] अपील पेश करना जाहिर नहीं होता है। अतः ऐसी अपील को तकनीकी आधार पर खारीज नहीं करके गुणावगण पर निर्धारित किया जाना न्यायोचित है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible], जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रावधान का धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र न्याय हित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. अपीलांटस की ओर से अपने समर्थन में ग्राम राजारेडी के नामा सं. 244 दिनांक 27.02.2014 की सत्यप्रति, ग्राम गोविन्दपुरा के नामा सं. 133 दिनांक 18.06.1990, नामा सं. 254 दिनांक 07.02.2006 व 368 दिनांक 05.08.2017 की सत्यप्रति, ग्राम राजारेडी खाता सं. 73 जमाबंदी सं. 2070–73 दिनांक 15.05.2017 की नकल, ग्राम गोविन्दपुरा के खाता सं. 76 जमाबंदी सं. 2071–74 दिनांक 29.08.2017 की नकल, ग्राम गोविन्दपुरा खाता सं. 83 जमाबंदी सं. 2075–78 दिनांक 22.10.2024 की नकल ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा द्वारा जारी चन्दरलाल मेघवाल पि. शिवलाल के मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 30.11.2006 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा द्वारा जारी घनशम पि. सेवा मेघवाल के मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 05.10.2005 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा का अनाखबाई पत्नि चन्दरलाल का परिवार राशनकार्ड सं. 200001231552, अनोखाबाई पत्नि चन्दरलाल का भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र कमांक टीएएच 0215723 दिनांक 16.11.2008, अनोखबाई पत्नि चन्दरलाल का आधारकार्ड कमांक 403722025488 की फोटोकापी, सुरेन्द कुमार पि. चन्दरलाल का आधारकार्ड कमांक 648663009897, सौरमबाई पत्नि घनश्याम का भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र कमांक टीएएच 0215715 दिनांक 16.11.2008, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा जारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदेश कमांक आरजे–एस–04302451 दिनांक 01.06.2013 की प्रति, सौरमबाई पत्नि घनश्याम का आधारकार्ड कमांक 932263663433 की फोटोप्रति, केसरबाई पत्नि किशनलाल का आधारकार्ड कमांक 415997965419 की फोटोप्रति एवं केसरबाई पत्नि किशनलाल मेघवाल का जनाधार कार्ड कमांक 5051408358 पेश किये।

8. रेस्पोंडेन्टस सं. 1 ने अपनी [illegible] में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक [illegible] / 2017 [illegible] 2017 की फोटोप्रति, न्यायालय न्यायिक [illegible] के [illegible] वाद सं. 37 / 2017 के निर्णय दिनांक 15.05.2025 की प्रति, [illegible] रजिस्टर्ड विक्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
[illegible], जिला भीलवाड़ा (राज.)

6–[illegible] पुत्री [illegible] पत्नि जगन्नाथ जाति मेघवाल निवासी

पत्र दिनांक 01.05.2017 की फोटोप्रति, ग्राम राजाखेडी के खाता सं. 39 की जमाबंदी सं. 2074–77 दिनांक 22.10.2024, ग्राम राजाखेडी के नामा सं. 295 दिनांक 23.05.2017 की फोटोप्रति, दीवानी प्रकरण सं. 37/2017 में सिविल न्यायालय पिडावा में दर्ज अनोखबाई पत्नि चन्दरलाल के बयानो की फोटोप्रति पेश किये गये।

9. अभिभाषक अपीलांटस एवं अभिभाषकगण रेस्पोन्डेन्टस की बहस अपील सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पेश न्यायिक निर्णय दिनांक 15.05.2025 का मनन किया गया। उभयपक्ष के लिखित बहस के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित है कि सेवा उर्फ **शिवलाल मेघवाल** नि. गोविन्दपुरा के वारीसान तीन पुत्र चन्दर, घनश्याम व बीरम एवं एक बेवा जडावबाई है। सेवा उर्फ शिवलाल के एक पुत्री केसरबाई है या नहीं– यह विवादित विषय है। अपीलांटस द्वारा पेश ग्राम राजाखेडी की जमाबंदी सं. 2070–73 के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 143/2 रकबा 8–11 बीघा में सहखातेदार सेवा नि. गोविन्दपुरा के स्थान पर फोती नामान्तरण से बीरम, घनश्याम, चन्दर पिस. सेवा व जडावबाई बेवा सेवा हि. 4/25 का नाम दर्ज हुआ था अर्थात सेवा का फोती नामान्तरण दर्ज करने वाली आथिरिटी ने सेवा के तीन पुत्र व एक बेवा मानकर नामान्तरण निर्णित किया था। इसी प्रकार ग्राम गोविन्दपुरा की जमाबंदी सं. 2071–74 की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 155 रकबा 0–19 बीघा के अवलोकन से जाहिर है कि गोविन्दपुरा निवासी सेवा उर्फ शिवलाल का फोती नामान्तरण सं. 133 दिनांक 18.06.1990 चार पुत्र– बीरम, चन्दर, घनश्याम, कालू, एक पुत्री केसरबाई व एक बेवा जडावबाई के नाम निर्णित किया गया। अपीलांटस का कथन है कि सेवा उर्फ शिवलाल के एक पुत्री केसरबाई एवं चार पुत्र है जबकि रेस्पोंडेन्टस का कथन है कि केवल तीन पुत्र व सेवा के कोई पुत्री नहीं थी। अपीलांटस द्वारा इस न्यायालय में पेश हस्तगत अपील सं. 08/2017 में अपीलांटस सं. 3 के [illegible] सेवा उर्फ शिवलाल पत्नि किशनलाल जाति मेघवाल हाल नि. गेलाना तहसील पिडावा पक्षकार है जिसका फोटोग्राफ भी चस्पा है। इसी प्रकार अपीलांट सं. 1 द्वारा पेश दीवानी वाद सं. 37/2017 अनोखबाई बनाम दूल्हालाल में जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2025 में भी केसरबाई पुत्री सेवा उर्फ शिवलाल पत्नि

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

किशनलाल जाति मेघवाल हाल नि. गैलानी तहसील पिडावा पक्षकार है। उक्त न्यायिक निर्णय के पैरा सं. 04 के अनुसार वादी की ओर से केसरबाई पुत्री सेवा पीडब्ल्यू 2 के मौखिक साक्ष्य पेश कर परिक्षीत किया गया था। अपीलांट द्वारा पुत्री केसरबाई के संबंध मे पेश आधार कार्ड क्रमांक 415997965419 एवं जनाधार कार्ड क्रमांक 5051488358 के अवलोकन से केसरबाई पत्नि किशनलाल मेघवाल नि. गैलानी होना जाहिर होता है। अतः प्रथम दृष्टया जाहिर होता है कि केसरबाई पत्नि किशनलाल मेघवाल नि. गैलानी गोविन्दपुरा निवासी मृतक खातेदार सेवा उर्फ शिवलाल मेघवाल की पुत्री है।

10. उभयपक्ष के मध्य यह तथ्य निर्विवादित है कि चन्दर पुत्र सेवा उर्फ शिवलाल एवं घनश्याम पुत्र सेवा उर्फ शिवलाल नि. गोविन्दपुरा क्रमशः वर्ष 2006 एवं वर्ष 2005 में फोत हो चुके है। अपीलांटस द्वारा पेश ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा तहसील पिडावा द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 30.11.2006 की फोटोप्रति के अनुसार चन्दरलाल मेघवाल पि. शिवलाल नि. गोविन्दपुरा की मृत्यु दिनांक 29.11.2006 को गोविन्दपुरा में होना जाहिर होता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा तहसील पिडावा द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 19.02.2013 की फोटोप्रति के अनुसार घनश्याम पि. सेवा मेघवाल नि. गोविन्दपुरा की मृत्यु दिनांक 25.09.2005 को गोविन्दपुरा में होना जाहिर होता है। अतः प्रथम दृष्टया साबित है कि चन्दर पुत्र सेवा उर्फ शिवलाल वर्ष 2006 में एवं घनश्याम पि. सेवा उर्फ शिवलाल वर्ष 2005 में फोत, हो चुके है।

11. अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गैलानी द्वारा निर्णित नामा.सं. 244 दिनांक 27.02.2014 की कानूनी वैधता को अभिनिर्धारित करने के लिए मृतक खातेदार चन्दर व घनश्याम पिस. सेवा एवं जडावबाई बेवा सेवा के कानूनी वारीसानो को अभिनिर्धारित करना आवश्यक है। [illegible] मृतक के फोती इन्तकाल हेतु विधिक वारीसान. एवं [illegible] अधिकार हेतु उत्तराधिकारियों को तय करना दो [illegible] किसी मृतक व्यक्ति का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 371–372 के अधीन क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला न्यायाधीश द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

91

जारी किये जाते है जबकि राजस्थान राज्य मे किसी मृतक का विधिक वारीसान प्रमाण पत्र क्षेत्राधिकार वाले तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है।

12 ग्राम पंचायत गैलानी द्वारा निर्णित नामा.सं. 244 की नामान्तरण पंजिका के अवलोकन से जाहिर है कि हल्का पटवारी गैलानी द्वारा पंजिका के कालम सं. 16 मे अंकित किया है कि खातेदार घनश्याम व चन्दर को अविवाहित फोत हुए अर्सा 3 माह से अधिक हो चुका है। माता जडावबाई भी फोत हो चुकी है। अतः मृतको के नाम कम करने हेतु नामान्तरण पेश है। हल्का पटवारी गैलानी द्वारा भू.अभिलेख निरीक्षक खारपाकलां के समक्ष जांच हेतु नामान्तरण पेश करने पर तत्कालीन भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा मृतकों के विधिक वारीसान के संबंध मे अपनी कोई जांच/टिप्पणी अंकित किये बिना दिनांक 22.02.2014 को सिर्फ हस्ताक्षर किये गये। नामान्तरण पंजिका पर हल्का पटवारी गैलानी द्वारा बनाये गये पारिवारिक शजरे में भी मृतक चन्दर व घनश्याम को अविवाहित फोत होना अंकित किया है जबकि जडाववाई के तीन पुत्र बीरम, घनश्याम, चन्दर व कोई पुत्री नहीं होना बताया है। यह सही है कि मृतक खातेदार सेवा उर्फ शिवलाल, चन्दर, घनश्याम व जडावबाई ग्राम गोविन्दपुरा के निवासी थे एवं वादग्रस्त आराजी अन्य ग्राम पंचायत गैलानी के राजाखेडी ग्राम में स्थित होने से फोती नामान्तरण दर्ज करते समय पटवारी हल्का गैलानी को हल्का पटवारी गोविन्दपुरा से मृतको के वारीसान की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी परन्तु पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि पटवारी हल्का गैलानी द्वारा गोविन्द हल्का पटवारी से मृतको के वारीसान की जानकारी प्राप्त की हो ग्राम पंचायत गैलानी के निर्णय दिनांक 27.02.2014 में अंकित किया है कि "पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खातेदार घनश्याम व चन्दर का अविवाहित तथा माता जडावबाई की मृत्यु होना पाया गया। तीनो मृतको के नाम खाते से कम करने की स्वीकृति दी जाती है"। उक्त निर्णय पर केवल कोरम अध्यक्ष सरपंच के हस्ताक्षर है, कोरम सदस्यों [के हस्ता]क्षर नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा ना तो अपने [निर्णय में उक्त नामान्तरण] के संबंध में कोरम में लिए गये प्रस्ताव की संख्या [का कोई उल्लेख किया] है और ना ही कोरम के समक्ष पेश होने का उल्लेख है। किसी भी पक्षकार द्वारा प्रकरण में संबंधित बैठक कार्यवाही रजिस्टर के प्रस्ताव की सत्यप्रति भी पत्रावली में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

पेश नहीं की है। मृतक खातेदार चन्दर, घनश्याम व जड़ावबाई तीनो ग्राम गोविन्दपुरा के निवासी थे लेकिन दूसरी ग्राम गैलानी के ग्राम राजपोखेड़ी मे कदरस्त आराजी स्थित होने से इस भूमि का नामान्तरण ग्राम पंचायत गैलानी द्वारा निर्णित किया गया है। अपीलांट द्वारा पेश ग्राम गोविन्दपुरा के नाम सं. 368 दिनांक 05.08.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि हल्का पटवारी गोविन्दपुरा द्वारा नामान्तरण पंजिका के कालम सं. 16 में पटवारी हल्का द्वारा अंकित किया है कि– मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर खातेदार चन्दर पि. सेवा व जड़ावबाई बेवा सेवा फोत हो चुके है। अतः नाम. दर्ज कर बाद जांच उचित आदेश पेश है। हल्का पटवारी गैलानी द्वारा भू.अभिलेख निरीक्षक खारपाकला के समक्ष जांच हेतु नामान्तरण पेश करने पर तत्कालीन भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा मृतको के विधिक वारीसान के संबध में अपनी कोई जांच/टिप्पणी अंकित किये बिना दिनांक 03.07.2017 को मुताबिक जमाबंदी अंकन सही है अंकित कर हस्ताक्षर किये गये। नामान्तरण पंजिका पर हल्का पटवारी गोविन्दपुरा द्वारा बनाये गये पारिवारिक शजरे में भी मृतक चन्दर के एक पुत्र सुरेन्द्र कुमार, कोई पुत्री नहीं एवं बेवा अनोखबाई होना अंकित किया है जबकि जड़ावबाई के वारीसान पूर्व से खाते में दर्ज होना बताया है। ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के निर्णय दिनांक 05.08.2017 में अंकित किया है कि "नामा.सं. 368 कोरम के समक्ष पेश हुआ। खातेदार चन्दर पि. सेवा व जड़ावाबाई बेवा सेवा का फोत होना सही पाया गया। मृतक चन्दर के स्थान पर पुत्र सुरेन्द्र कुमार बेवा अनोखबाई का नाम दर्ज हो व मृतक जड़ावबाई बेवा सेवा का नाम खाते से कम करना सर्वसम्मति से स्वीकार है"। उपरोक्त दोनो नामान्तरकरणो के विवेचन से जाहिर है कि मृतक चन्दर व घनश्याम जिस ग्राम गोविन्दपुरा के मूल निवासी है, वहां की ग्राम पंचायत की कोरम ने मृतक चन्दर को विवाहित मानते हुए चन्दर के वारीसान सुरेन्द्र कुमार पि. चन्दर व अनोखबाई बेवा चन्दर के नाम सं. 368 तस्दीक किया है तथा मृतक घनश्यम को विवाहित मानते हुए वारीसान बेवा सौरमबाई के नाम नामान्तरण [illegible] दिनांक 07.02.2006 निर्णित किया है जबकि दूसरी ग्राम पंचायत [illegible] जहां मृतक निवास नहीं करते थे केवल भूमि ही [illegible] घनश्यामं को अविवाहित मानते हुए नामान्तरण निर्णित किया है। अतः प्रथम दृष्टया मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारो की मूल ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा द्वारा निर्मित नामान्तरण नं. 368 व 254 सही होना जाहिर होता है।

13. अपीलांटस द्वारा पेश अनोखबाई का राशनकार्ड क्रमांक 200001231552 जमन वर्ष 2002, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र क्रमांक TAH0215723 दिनांक 16.11.2008, अनोखबाई का आधारकार्ड क्रमांक 403722025488, सुरेन्द्र कुमार आत्मज चन्दरलाल का आधारकार्ड क्रमांक 648663009897, सोरमबाई पत्नि घनश्याम का भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र क्रमांक टीएएच 0215715 दिनांक 16.11.2008, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा जारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदेश क्रमांक आरजे–एस–04302451 दिनांक 01.06.2013 की प्रति, सोरमबाई पत्नि घनश्याम का आधारकार्ड क्रमांक 932263663433 की फोटोप्रति, केसरबाई पत्नि किशनलाल का आधारकार्ड क्रमांक 415997965419 की फोटोप्रति एवं केसरबाई पत्नि किशनलाल मेघवाल का जनाधार कार्ड क्रमांक 5051488358 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चन्दरलाल मेघवाल निवासी गोविन्दपुरा की पत्नि का नाम अनोखबाई अपीलांटस सं. 1, पुत्र सुरेन्द्र कुमार है जबकि घनश्याम मेघवाल निवासी गोविन्दपुरा की पत्नि का नाम सॉरमबाई अपीलांट सं. 4 है। उपरोक्त सभी दस्तावेज भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों/परिपत्रो/अधिनियमो/आदेशो के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये है और पब्लिक दस्तावेज है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 74 से 77 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पब्लिक दस्तावेज की प्रमाणिकता पर ना तो संदेह किया जा सकता है और ना ही संदेह करने का कोई पुख्ता आधार पत्रावली पर उपलब्ध है।

14. रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा पेश दीवानी वाद सं. 37/2017 उनवान अनोखबाई बनाम दूल्हालाल में सिविल न्यायाधीश पिडावा द्वारा जारी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.05.2025 के पैरा नं. 6 व 7 [illegible] संशोधित तनकी नं. 5 ए – " आया वादीगण सं. 1, 2 व 4 [illegible] उर्फ शिवलाल मेघवाल नि. गोविन्दपुरा के विधिक [illegible] अवलोकन से जाहिर है कि वादीगण द्वारा सेवा उर्फ शिवलाल, चन्दर उर्फ चन्दरलाल व घनश्याम के विधिक वारीसान होने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य जैसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

राशनकार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जच्चा बच्चा कार्ड आदि पेश नही किये जाने और वादी सं. 1 अनोखबाई ने वादी सं. 4 को न्यायालय में परीक्षित कर उक्त तथ्यो की पुष्टि नही करवाने से उनकी सं. 5 ए वादीगण अपने पक्ष मे साबित कराने मे असफल रहे है अर्थात पर्याप्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नही करने से वादीगण/अपीलांटस सिविल न्यायालय में स्वयं को मृतक खातेदार चन्दर व घनश्याम के विधिक वारीसान साबित करने में विफल रहना जाहिर होता है। हस्तगत प्रकरण मे अपीलांटस द्वारा चन्दर मेघवाल एवं घनश्याम मेघवाल के वारीसान होने के संबंध मे विवाह प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य प्रमुख पहचान दस्तावेज यथा आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, राशनकार्ड, जनाधार कार्ड, सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी सामाजिक सुरक्षा पेशन का पीपीओ आदि पेश किये है। साथ में ही मृतक खातेदार चन्दर व घनश्याम पिसं. सेवा मेघवाल नि. गोविन्दपुरा की मूल ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा की कोरम द्वारा निर्णित नामा.सं. 368 व 254 से भी उक्त दस्तावेजो की पुष्टि होती है।

15. रेस्पोडेन्ट सं. 1 का यह कथन है कि अपीलांटस सं. 1 व 4 ने उक्त सभी पहचान व निवास प्रमाण पत्र चन्दर पि. सेवा व घनश्याम पि. सेवा के फोत होने के बाद बनाये गये है। किसी व्यक्ति/पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नि या बच्चो को मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, जनाधारकार्ड, पेंशन पीपीओ आदि दस्तावेज बनाने पर किसी भी कानून में कोई रोक नहीं है। उक्त दस्तावेजो को जारी करने वाली संस्था/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों व प्रकिया के अधीन उक्त दस्तावेज जारी करने का अधिकार है। अपीलांटस द्वारा पेश उक्त दस्तावेजो को जारी करने वाली संस्था/सक्षम प्राधिकारी/सक्षम न्यायालय द्वारा खारीज कर दिया गया हो ऐसा कोई भी साक्ष्य रेस्पोडेन्टस द्वारा पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। जब तक किसी दस्तावेज को सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय द्वारा खारीज नहीं कर दिया जावे तब तक ऐसे [illegible] दस्तावेजो पर शक/संदेह करने का कोई आधार नहीं है। अतः अपीलांटस द्वारा पेश दस्तावेजों को साक्ष्य में स्वीकार किये जाने पर कोई संदेह नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

16. रेस्पोडेन्ट सं 1 द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध दर्ज कराई गई एफआईआर सं 0161/2017 अन्तर्गत धारा 384, 452, 504, 506 व 34 आईपीसी मे लगाये गये आरोपो को जांच अधिकारी द्वारा प्रमाणित नही पाये जाने और फरियादी के साथ किसी प्रकार की घटना घटित नही होना पाये जाने पर मामला अनुसंधान मे अदम वकू झूठा पाये जाने पर एफआर आदेश वकू झूठ मे दिनांक 30.08.2017 को न्यायिक मजिस्ट्रेट पिडावा के समक्ष पेश किया जा चुका है। अतः रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा लिखित बहस अपील की मद सं. 3 मे किये गये कथन साबित नही होते है। सिविल न्यायालय द्वारा दीवानी प्रकरण सं. 37/2017 में जारी निर्णय दिनांक 15.05.2025 मुख्यतः रजिस्टर्ड बेचानपत्र दिनांक 28.04.2017 को निरस्त करने बाबत है।

17. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम राजाखेडी तहसील पिडावा की ग्राम पंचायत गैलानी द्वारा निर्णित नामा. सं. 244 दिनांक 27.02.2014 अवैधानिक एवं विधि विरूद्ध होने से अपीलांट्स द्वारा पेश अपील न्याय हित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम राजाखेडी तहसील पिडावा की ग्राम पंचायत गैलानी द्वारा निर्णित नामा. सं. 244 दिनांक 27.02.2014 खारीज किया जाकर अपीलांट्स द्वारा पेश अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जाता है कि उक्त नामांतरण सं0 244 को खारीज कर नामांतरण से पूर्व की मूल स्थिति बहाल कर पुनः मृतक खातेदार चन्दर व घनश्याम पि. सेवा उर्फ शिवलाल तथा जडावबाई बेवा सेवा उर्फ शिवलजाल नि. गोविन्दपुरा के वैध वारीसानों की समुचित जांच कर पुनः नये सिरे से नामान्तरण दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.0[illegible] [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:19 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner